

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/2113
प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक - 09.08.19

1 मांगाराम 2 मुकनाराम
पिसरान आदूराम जाति
जाट निवासी बोला
तहसील व जिला
बाड़मेर।

1 चिमाराम पुत्र बालाराम 2 नानगाराम पुत्र सोनाराम 3
गेनाराम पुत्र बालाराम 4 लाखाराम पुत्र भूराराम 5 रायमलाराम
पुत्र जुगताराम 6 लाधाराम पुत्र बांकाराम 7 चैनाराम पुत्र
उदाराम जाति जाट निवासी बोला 8 नवलाराम पुत्र खुमाराम
जाति जाट निवासी बोला 9 धन्नीदेवी पत्नी विरधाराम जाति
जाट निवासी मूढों की ढाणी 10 खेतसिंह पुत्र जवाहरसिंह
जाति राजपूत निवासी बोला तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 135/2019

दिनांक- 04.08.19

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बोला पटवार क्षेत्र बोला तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 631/205 रकबा 71.14 बीघा, खसरा संख्या 634/205 रकबा 24.15 बीघा भूमि व मौजा मीठीसर पटवार क्षेत्र बोला तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 191/19 रकबा 21.10 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर

दिनांक- 09.08.19

क्रमांक :- रीडर/2019/2114-17
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बोला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. मांगाराम पुत्र आदूराम वगैराह जाति जाट निवासी बोला तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी चिमाराम पुत्र बालाराम वगैराह जाति जाट निवासी बोला तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर